2020/00550

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री कान्तिलाल उपाध्याय<br>जाति उपाध्याय<br>निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़<br>जिला सिरोही | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 66 वर्ष 2020

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.11.2020 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 10.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 20.04.2020 को सन् 2014 से 2016 में कार्यालय ग्राम पंचायत सुरपगला में कार्यरत श्री लालसिंह ग्राम विकास अधिकारी / तत्कालीन सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों में कुशल / अकुशल श्रमिकों की एक ही अवधि में दोहरी उपस्थित दर्ज करने की जांच श्री नटवरलाल सहायक विकास अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा की गई थी उक्त जांच रिपोर्ट व रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 10.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 20048.2019 को सन् 2014–2016 में कार्यालय ग्राम पंचायत सुरपगला में कार्यरत श्री लालसिंह ग्राम विकास अधिकारी / तत्कालीन सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों के मस्ट्रोंलों में कुशल / अकुशल श्रमिकों की एक ही अवधि में दोहरी उपस्थित दर्ज करने की जांच श्री नटवरलाल सहायक विकास अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा की गई थी उक्त जांच रिपोर्ट व रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वी[illegible]जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही [illegible] को चाही गई समस्त सूचना तत्काल निय[illegible] नियमों में स[illegible] हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को [illegible]त करें । पत्रावली फैस[illegible] होकर नंबर से कम हो ।<br><br>(भगवती प्रसाद)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:03:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner